// श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254988(का.)
e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

राम स्वरूप मीणा, R.Ac.S.
वित्त नियंत्रक

क्रमांकः एफ.03( )आयकर/वि.नि./श्रीकनकृविवि/2026 706-10 दिनांक : 19.05.2026

M/S Arbaz Khan & Company,
E-3A, Gokul Apartment,
Kanti Chandra Road, Jaipur-302016
arbazkhan.edu@gmail.com
Mob. No. 8005918517

विषय :– GST एवं TDS सम्बन्धी कार्यों हेतु कार्यादेश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा GST TDS एवं TDS सम्बन्धी कार्यों के लिए आमंत्रित कोटेशन क्रमांक 453–58 दिनांक 05.05.2026 में आपकी दरे सबसे कम पाई गई है अतः आपको निम्न दरों पर दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक के लिये कार्यादश जारी किया जाता हैं। वर्ष 2026–27 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत कार्मिकों के Form No. 16 एवं तृतीय पक्षकरों के Form No. 16 (A) जारी होने के उपरान्त कार्य पूर्ण माना जायेगा।

क्र.स.	कार्य का प्रकार	दर	GST	कुल योग
01	1. **GST तथा GST TDS :–.** 1. GST जमा कराने हेतु चालना बनाना, GST एव GST TDS से सम्बन्धित सभी तरह की रिर्टन फाईल करना एव प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना, आवश्यकता होने पर GST से सम्बन्धित संशोधित स्टेटमेंट फाईल करना, GST से सम्बन्धित मामलों में समय समय पर परामर्श देना, GST TDS के सर्टिफिकेट आदि कोई है तो जारी करना, जी.एस.टी से सम्बधित किसी भी प्रकार के नोटिस का जवाब तैयार कर GST विभाग को देना एवं विश्वविद्यालय का प्रबल पक्ष GST विभाग को प्रस्तुत करना एवं जी.एस.टी के सम्बन्ध में कोई वाद उत्पन होता है तो जवाब तैयार करवाना तथा वाद की पैरवी में पूर्ण सहयोग प्रदान करना। 2. आयकर :– (लगभग 1200 सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारी) 1. त्रैमासिक आयकर TDS रिर्टन फाईल करना, नियमानुसार सामयिक डाटा फाईल करना तथा नियमानुसार सामयिक Form No. 16/16A Generate कराकर उपलब्ध कराना एव आवश्यकतानुसार उसमें करेक्शन आदि कराना, आवश्यकता होने पर Revised Return File करना, आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस चाहे किसी भी वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित हो तो जवाब देना, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करना, आयकर सम्बन्धि मामलों में समय–समय पर परामर्श देना। आयकर विभाग में चल रहे प्रकरणो में विभाग का प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करना एवं आयकर विभाग से मध्यस्था का कार्य करना।	58500.00	0.00	58500.00
	कुल योग	58500.00	0.00	58500.00

शर्ते :–

1. प्रत्येक तिमाही के TDS रिर्टन के लिये समस्त दस्तावेज विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर तिमाही की समाप्ति के 20 दिवस के भीतर रिर्टन दाखिल करने का दायित्व फर्म का होगा।
2. Form No. 16 के लिये कार्यालय में उपस्थित रहकर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर Form No. 16 उपलब्ध करवाने होगें।
3. वर्ष 2026–27 के लिये समस्त कार्मिकों के Form No. 16 जारी करने का दायित्व फर्म का रहेगा।
4. वर्ष 2026–27 से सम्बन्धित समस्त रिर्टन भरने का दायित्व फर्म का होगा।

5. वर्ष 2026–27 से सम्बन्धित समस्त आयकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने एवं विश्वविद्यालय का पक्ष रखने का दायित्व फर्म का रहेगा। वर्ष 2026–27 से पूर्व के वर्षो का कोई नोटिस प्राप्त होता है तो उस पर कार्यवाही हेतु आपकी सहमति के आधार पर पूरक से भुगतान देय होगा।
6. विश्वविद्यालय परिसर से आयकर/जी.एस.टी. से सम्बन्धित सुचनाएँ एकत्रित कर प्रपत्रो की जांच करने तथा ऑनलाइन डाटा फिडिंग का कार्य विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित रह कर करना होगा तथा प्रति माह दो विजिट अनिवार्य होगी एवं माह में दो से अधिक विजिट होने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाऐगा।
7. अन्य सभी शर्तें जो कोटेशन में वर्णित है लागू होगी।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, कुलगुरू सचिवालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्त नियंत्रक